



## कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित

ए-25, व्ही.आई.पी इस्टेट, शंकर नगर, रायपुर (छत्तीसगढ़)-492007

दूरभाष: (0771) 4065100-4065110 फ़ैक्स: 2283594

E-mail: mfpfed.cg@nic.in; fed\_raipur@cgmfpfed.org Website: www.cgmfpfed.org

### संशोधन क्रमांक - 01 दिनांक 10.01.2019

### Amendment No. 01 Dated 10.01.2019

छत्तीसगढ़ में वर्ष 2018 तेन्दू पत्ता सीजन में संग्रहित एवं गोदामीकृत तेन्दू पत्ते के बिक्रय हेतु जारी अधिसूचना क्रमांक अधिसूचना क्रमांक ते.प.(2018)-VII दिनांक 21.12.2018 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

The following amendment is being issued in the Tender Notification No. T.P (2018)-II Dated 21.12.2018 for the Godowned Sale of Tendu Leaves of 2018 season to be collected in Chhattisgarh:-

लाट क्र.	कालम क्र.	मुद्रित प्रविष्टि	संशोधित प्रविष्टि	भाषा
256	5	-	डोंगरगॉव	हिन्दी
261	5	-	डोंगरगॉव	हिन्दी
262	5	-	डोंगरगॉव	हिन्दी
263	5	-	डोंगरगॉव	हिन्दी
266	5	-	डोंगरगॉव	हिन्दी
256	6	-	लघु वनोपज संघ गोदाम क्र. 02	हिन्दी
261	6	-	लघु वनोपज संघ गोदाम क्र. 02	हिन्दी
262	6	-	लघु वनोपज संघ गोदाम क्र. 02	हिन्दी
263	6	-	लघु वनोपज संघ गोदाम क्र. 02	हिन्दी
266	6	-	लघु वनोपज संघ गोदाम क्र. 02	हिन्दी

## क्रेता का करारनामा की शर्त क्र. 12

### मुद्रित प्रविष्टि

#### 12. PENALTIES

If the purchaser commits breach of any of the terms and conditions of this agreement and it is not proposed to terminate the agreement on account thereof, the Managing Director of the District Union shall have the power to levy a penalty not exceeding **Rs. 5,000/-** for each such breach. If this exceeds **Rs. 5,000/-** (Five Thousand), an appeal against such order may be made within 30 days of the issue of the order to the Conservator of Forests whose decision, thereon shall be final and binding.

### संशोधित प्रविष्टि

#### 12. PENALTIES

If the purchaser commits breach of any of the terms and conditions of this agreement and it is not proposed to terminate the agreement on account thereof, the Managing Director of the District Union shall have the power to levy a penalty not exceeding **Rs. 1,000/-** for each such breach. If this exceeds **Rs. 5,00/-** (Five Hundred), an appeal against such order may be made within 30 days of the issue of the order to the Conservator of Forests whose decision, thereon shall be final and binding.

(कौशलेन्द्र कुमार)

कार्यकारी संचालक (व्या. एवं वि.)  
छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर

रायपुर, दिनांक 10.01.2019

पृ.क्रमांक संघ/व्या./2019/395

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. समस्त मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन मुख्य महा प्रबंधक, (छत्तीसगढ़)। उक्त संशोधन संघ के वेबसाईट [www.cgmpfed.org](http://www.cgmpfed.org) में अपलोड की गई है। संशोधन की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर अनिवार्य रूप से चस्था करें। कृपया अपने अधीनस्थ प्रबंध संचालक, जिला यूनियनों को भी निर्देशित करें कि वेबसाईट से संशोधन की प्रति डाउनलोड कर कार्यालय उपयोग हेतु प्राप्त करें।
2. कम्प्यूटर कक्ष, संघ मुख्यालय रायपुर। संघ के वेबसाईट पर अपलोड करें।

कार्यकारी संचालक (व्या. एवं वि.)  
छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर